क्रम-संख्या–164(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 29, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–2

संख्या 16/2024/1171/94-स्टा0नि0-2–2024

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0–258

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के पैरा 3.4(2) के उपबन्धों के अनुसार उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ और पूर्वोक्त नीति में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा उल्लिखित सीमा तक नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का पैरा	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
3.4(2)	विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा लाइसेन्स जारी करने के पूर्व स्वयं क्रय की गई भूमि को छोड़ते हुये परियोजना हेतु लाईसेन्स जारी होने के पश्चात् अवशिष्ट भूमि के क्रय हेतु।	50%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित अनुसूची–1 (ख) के अनुच्छेद–23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगी:–

1–उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के पैरा 3.12(3) के परन्तुक के अनुसार परियोजना के अधीन भूमि विकास के पश्चात् विक्रीत सम्पत्तियों पर विकासकर्ता/आवंटिती द्वारा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क संदेय होगा।

2–इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी जब जिला मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित जिला के मूल विभाग के जिला स्तर के पद से अनिम्न अधिकारी लिखत में पुष्टि करेंगे कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति, 2023 के अधीन विलेख निष्पादित किया जा रहा है और उक्त प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करेंगे।

3–ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में स्टाम्प शुल्क में माँफी के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की अवधि परियोजना को पूर्ण करने के लिए उपरोक्त नीति में विहित अवधि (10 वर्ष) से अन्यून होगी।

4–पूर्वोक्त नीति के पैरा 3.16 (3) में यथा उल्लिखित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश के नियम और शर्तों के अनुसार स्कीम/परियोजना को रद्द किये जाने के मामले में स्टाम्प शुल्क छूट की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

लीना जौहरी,

प्रमुख सचिव।

———

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 16/2024/1171/XCIV-S.R.-2–2024 dated September 20, 2024 :

No. 16/2024/1171/XCIV-S.R.-2–2024

Dated Lucknow, September 20, 2024

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the official *Gazette*, is pleased to remit the stamp duty chargeable in respect of the instrument mentioned in column 4 of the Schedule below to the extent as mentioned in column 3 of the said Schedule, in accordance with the provisions of paragraph 3.4(2) of the Uttar Pradesh Township Policy, 2023 for the purpose as specified in column 2 of the said Schedule and for the objectives specified in the aforesaid policy.

SCHEDULE

Paragraph of the Uttar Pradesh Township Policy, 2023	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
3.4(2)	For purchase of residual land after the issuance of licence for the project, excluding the land purchased by the developer/ consortium itself before the issuance of the licence.	50%	On the instrument of conveyance under clause (a) of Article 23 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to the State of Uttar Pradesh.

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1. As per the proviso of paragraph 3.12 (3) of the Uttar Pradesh Township Policy, 2023, stamp duty will be payable by the developer/allottees as per rules on the properties to be sold after land development under the scheme/project.

2. The exemption under this notification shall be available if the District Magistrate/Officer of the parent Department, not below the designation of district level, of the concerned district shall confirm in the instrument that the deed is being executed under the Uttar Pradesh Township Policy, 2023, and also sign as a witness for the said purpose.

3. Irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the District Magistrate shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee shall not be less than the period prescribed in the aforesaid Policy (10 years), for completion of the project.

4. As mentioned in paragraph 3.16 (3) of the aforesaid Policy, necessary action will be taken as per the rules and conditions of the Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh for the recovery of stamp duty exemption in case of cancellation of the scheme/project.

By order,
LEENA JOHRI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 278 राजपत्र–2024–(718)–599 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–2024–(719)–150 प्रतियां (क0 / टी0 / ऑफसेट)।

278 RPH Stamp & Registration-2, 2024 data 7e